

- (vii) घन प्रेषण का तरीका तरजीह क्रम में
Mode of remittance preferred.....
- बचत
- 1 डाक से मनीआर्डर द्वारा
By postal money order
2 रेखित लेखा चेक द्वारा डाक से प्रेषित
BY crossed A/C.payee cheque sent through post
3राज्य के.....डाकघर में डाक
- By deposit in my postal saving bank
लेखा सं.....में जमा कर
Account No
with post office
- In the state of
(स्पष्ट अक्षरों में/ in block capitals)
- (viii) सदस्य का पूरा डाक पता जिस पर इस आवेदन में लिखें मनीआर्डर
चैक को भेजा जा सकता है या पत्र व्यवहार किया जा सकता है।
Full postal address of the member to which money order,
cheque or correspondance on this application may be sent
- गॉव.....
Vill.
पो.....
P.O.
जिला
Dist.
राज्य.....
State
- (ix) मकान की वर्तमान स्थिति
Present state of the house.....
- (x) वह कारण बताएं जिससे दूसरा मकान बनाना जरूरी है।
Reason for which a second house is required to be
constructed.....

ग. शर्तें एवं घोषणा C. CONDITIONS & DECLARATIONS

- (क) मैं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ :-
- (a) I undertake to comply with the following conditions :-
- (i) जिस प्रयोजन के लिए आवेदन किया है उसी के लिए अग्रिम राशि उपयोग की जायेगी।
The amount of advance shall be utilised for the purpose applied for.
- (ii) यदि अग्रिम राशि उस प्रयोजन के लिए उपगत वास्तविक व्यय से अधिक है जिसके लिए अग्रिम संस्वीकृत किया गया है तो मकान के निर्माण या रूपांतरण जैसी स्थिति हो, के पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर अतिरिक्त राशि को निधि में लौटाया जायेगा।
If the amount of advance is in excess of the actual expenditure incurred for the purpose for which the advance is sanctioned, the excess shall be refunded to the Fund within 30 days of the completion of construction or conversion of the house as the case may be:
- (iii) मकान का निर्माण या रूपांतरण पहली किस्त के आहरण से छः महीने के भीतर पूरा करना होगा, जब तक कि इस शर्त में निर्दिष्ट समय सीमा का बढ़ाने के लिए इस संबंध में आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली जाती। यदि अवधि बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है तभी निर्माण/रूपांतरण कार्य का आरंभ किया जायेगा तथा उस बढ़ी हुई अवधि में पूरा किया जायेगा।
The construction or conversion shall be commenced within six months of the withdrawal of the first instalment and completed within six months of the withdrawal of the final instalment unless prior sanction of the Commissioner or an officer authorised by him in this regard has been obtained for an extension of the timelimits referred to in this condition, In the event of any extension of the time being allowed, construction/conversion shall be started and finished with in such extended time.
- (iv) अग्रिम राशि उस भूमि पर निवास गृह के निर्माण के लिए उपयोग नहीं की जायेगी जो मैंने अकेले नहीं खरीदी
The amount of advance shall not be utilised for constructing a dwelling house on land which is not owned solely by me.
- (v) अग्रिम राशि उस मकान में परिवर्तन करने के लिए भी उपयोग नहीं की जायेगी जिसको कि मैंने अकेले नहीं खरीदा है तथा जो पूर्णतः तृण भार से मुक्त नहीं है।
The amount of advance for construction or conversion of a house shall not be utilised for converting a house which is not solely owned by me and is free from all encumbrances.
- (vi) निर्दिष्ट निर्माण/रूपांतरण से संबंधित ऐसे हक, अविलेख कार्य योजना, अन्य दस्तावेज एवं सूचनाएं जैसे ही इन्हें समय 2 पर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किए जाएं।
Such little deeds, plans, other documents and information related to the intended construction/conversion, as may be called for by the commissioner or any officer authorised by him in this regard from time to time shall be furnished on demand.
- (vii) निर्माण कार्य रूपांतरण कार्य के पूर्ण होने पर प्रपत्र ए डी भी 0-9 में एक समापन रिपोर्ट आयुक्त या किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
A completion report in Form ADV.-9 shall be furnished to the Commissioner or any officer authorised by him in this regard on completion of the construction or conversion.
- (viii) यदि निर्माण कार्य/रूपांतरण कार्य जिसके लिए अग्रिम राशि मंजूर की गई है वास्तव में नहीं किया गया है या इसमें या कोयला खान भविष्य निधि योजना में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो तो अग्रिम की संपूर्ण राशि सत्याज निधि में वापस की जाएगी। उस अग्रिम राशि पर ऐसे ब्याज की दर आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित वित्त वर्ष के लिए निर्धारित दर पर प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
If the construction/conversion for which advance is granted does not materialise or if there is any breach of the conditions specified herein or in the Coal Mines Provident Fund Scheme the entire amount of the advance together with interest thereon at such rate not exceeding rate applicable for the CPE percent per annum as may be fixed by the Commissioner shall be refunded to the fund.